

# न्यूज़ टुडे

## मंत्रिमंडल द्वारा “मिशन कर्मयोगी”—राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB) को स्वीकृति प्रदान की गई है

- इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सूजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी—समर्थ बनाना है।
- **NPCSCB** सिविल सेवकों के क्षमता विकास के उन्नयन में सहायता प्रदान करेगा, ताकि वे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और सेवेनशील बने रहें तथा विश्व की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपनाने हेतु सदैव प्रयासरत रहें।
  - इसके तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे।
  - वर्ष 2020–2021 से लेकर वर्ष 2024–25 तक की इस 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी।
- NPCSCB के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल हैं:
  - ‘नियम आधारित (Rules based)’ मानव संसाधन प्रबंधन के स्थान पर अब ‘भूमिका आधारित (Roles based)’ मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
  - ‘ऑफ साइट लर्निंग (सीखने की पद्धति)’ को बेहतर बनाते हुए ‘ऑन साइट लर्निंग’ पर बल दिया जाएगा।
  - सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता ढांचा (**Framework of Roles, Activities and Competencies: FRAC**) आधारित डूस्टिकोण के साथ अद्यतित करना।
  - सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित सर्वोत्तम विषय—वस्तु के निर्माताओं के साथ साझेदारी करना।
  - सभी सिविल सेवकों को अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं (**Behavioral, Functional and Domain Competencies**) को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल है।
- इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण—आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (**iGOT Karmayogi Platform**) की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

## अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes: OBC) के उप-वर्गीकरण में अब तक हुई प्रगति तथा निष्कर्ष

- वर्ष 2017 में OBCs के उप-वर्गीकरण की जाँच के लिए न्यायाधीश जी. रोहिणी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था, जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - आयोग के कार्यों में शामिल हैं: OBCs के मध्य आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण के प्रसार की जांच करना, OBCs की केंद्रीय सूची में समिलित विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और सुधारों आदि के लिए अनुशंसा करना।
  - OBCs को केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- उप-वर्गीकरण का आशय आरक्षण के लिए OBCs के भीतर श्रेणियों का निर्माण करना है, ताकि सभी OBC समुदायों के मध्य प्रतिनिधित्व के “समान वितरण” को सुनिश्चित किया जा सके।
  - उप-वर्गीकरण का प्रश्न इस धारणा से उत्पन्न हुआ है कि OBCs की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक समुदायों में से केवल कुछ समृद्ध समुदायों ने ही OBC आरक्षण का सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया है।
- आयोग के प्रमुख निष्कर्ष:
  - OBCs के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों का 97% भाग, OBCs के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के केवल 25% को ही प्राप्त हुआ है।
  - कुल OBC समुदायों के 37% भाग का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व रहा है।
  - इन नौकरियों और सीटों का 25% हिस्सा केवल 10 OBC समुदायों को ही प्राप्त हुआ है।

## संसद के मानसून सत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम तैयार किए गए

- संशोधित कार्यक्रम के अनुसार
  - संपूर्ण सत्र में प्रश्नकाल (**Question Hour**) नहीं रहेगा। हालांकि, सांसदों द्वारा अतारांकित प्रश्न (**Unstarred questions**) पूछे जा सकते हैं।
  - दोनों सदनों में शून्य काल प्रतिबंधित रहेगा।
- सामान्यतया, संसद की बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित होता है, जिसे प्रश्न काल कहा जाता है। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इस प्रक्रिया द्वारा उहें उनके मंत्रालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है।
- प्रश्न चार प्रकार के होते हैं—
  - तारांकित (**Starred**) प्रश्न: इसके तहत संसद सदस्यों द्वारा मंत्री से मौखिक उत्तर की मांग की जाती है तथा ऐसे प्रश्नों की पहचान के लिए उस पर तारांक दिखाया जाता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है, तब उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
  - अतारांकित (**Un-starred**) प्रश्न: इसके तहत सदस्य, मंत्री से लिखित उत्तर की मांग करते हैं तथा इन पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।
  - अल्प सूचना (**Short Notice**) प्रश्न: ये अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होते हैं। इन्हें मौखिक उत्तर हेतु 10 दिन की सूचनावधि के भीतर पूछा जा सकता है।
  - गैर-सरकारी सदस्यों (**private members**) हेतु प्रश्न: यह उस स्थिति में पूछे जाते हैं, जब प्रश्न किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो, जिसके लिए कोई गैर-सरकारी सदस्य उत्तरदायी है।
- प्रश्नकाल के तुरंत उपरांत का समय शून्यकाल (**Zero Hour**) होता है अर्थात् यह प्रश्नकाल और कार्यक्रम निर्धारित करने के मध्य का समय होता है। इस दौरान सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के मामले प्रस्तुत करने की अनुमति होती है।
  - प्रश्नकाल के समान ही संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं है।

## MISSION KARMAKARI:

### THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF NPCSCB

#### Accountability and Transparency by Design



PM's HR Council - to provide strategic direction to civil services reforms and approve capacity



Cabinet Secretary Coordination Unit - will comprise of select Secretaries & Cadre Controlling Authorities



Capacity Building Commission for standardization & harmonization of the entire capacity building eco-system



SPV - 100% wholly-owned entity which will own manage and maintain iGOT Karmayogi digital platform

## ग्रामीण जल स्वच्छता और स्वास्थ्य (Water Sanitation and Hygiene: WASH) सेवा प्रदाताओं से संबंधित सुरक्षा पूर्वोपायों पर परामर्शिका (Advisory) जारी की गई है

- लॉकडाउन नियमों में शिथिलता प्रदान करने और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के पुनः प्रारंभ होने के साथ ही WASH सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे संक्रमण तथा वायरस के प्रसार से बचने के लिए सावधानीपूर्ण उपाय लागू करें।

- लॉकडाउन के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की थी।

- परामर्शिका में हाथ धोने की सामग्री की व्यवस्था करना, क्वारंटाइन/आइसोलेशन सेंटर पर पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विद्यालयों/आंगनवाड़ियों में नई सुविधाओं के समावेशन को प्राथमिकता प्रदान करना आदि शामिल है।

- जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य की परस्पर निर्भर प्रकृति के कारण, ये तीन मूल मुद्दे WASH के तहत एक साथ रखे गए हैं।

- उदाहरण के लिए, शैक्षालय की अनुपलब्धता के कारण, जल और दूषित हो जाते हैं तथा साथ ही स्वच्छ जल के बिना, आधारभूत स्वच्छता संबंधी प्रश्नाएं संभव नहीं हैं।

- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने तथा जल के आरामदानीकरण के प्रयत्नों को सुदृढ़ीकरण की नियंत्रित आवश्यकता है।

- WASH परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल हैं: शैक्षालयों की उपलब्धता में वृद्धि करना, पेयजल की पहुंच में सुधार करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर व्यवहार में परिवर्तन करना, जल एवं स्वच्छता से संबंधित सरकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना, समुदायों आधारित संस्थानों को सुदृढ़ करना आदि।

- भारत द्वारा स्वच्छ भारत भिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्कूलों में WASH, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में WASH आदि जैसे कार्यक्रमों को अपनाया गया है।

## संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रणाली में परिवर्तन पर बल दिया गया है

- "खाद्य प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDC) में सुधार {Enhancing Nationally Determined Contributions (NDCs) for Food Systems}" नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट, NDCs लक्ष्यों [परिस समझौते के तहत संशोधित (revise) या पुनः प्रस्तुत (resubmit)] से संबंध प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- > इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड फंड (WWF), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP), ईट (EAT) और क्लाइमेट फोकस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।
- > पेरिस समझौते के तहत, समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रयासों की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों में सभी पक्षकार देश ग्लोबल स्टॉकटेक (वैश्विक प्रगतियों का पुनर्मूल्यांकन) प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- प्रमुख निष्कर्ष:

  - > सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में खाद्य प्रणालियों की हिस्सेदारी लगभग 37% है।
    - ❖ खाद्य प्रणाली के तहत उन सभी घटकों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जो खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, तैयारी एवं खपत तथा उनके सामाजिक-आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित होते हैं।
  - > इन उत्सर्जनों को कम करने की दिशा में 90 प्रतिशत से अधिक NDCs, खाद्य प्रणालियों से संबंधित दृष्टिकोण को अपनाने में विफल रहे हैं।
  - > यदि खाद्य उत्पादन और खपत वर्तमान प्रवृत्तपथ (trajectory) के अनुसार जारी रहे, तो पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री लक्ष्य वाला उत्सर्जन बजट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
  - > जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं में आहार और खाद्य क्षति को शामिल करने से योजन प्रणालियों के प्रति शमन और अनुकूलन योगदानों में 25 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है।
  - > यह रिपोर्ट उन मुद्दों के निपटान संबंधी उपायों की पहचान करती है, जो उपर्युक्त चित्र में वर्णित किए गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।



## अन्य सुर्खियाँ

<b>संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति 1267 (United Nations Security Council Committee 1267)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अपनी आतंकवाद-रोधी प्रतिबंध समिति 1267 (1267 Committee for Counterterrorism Sanctions) के तहत दो भारतीयों को आतंकवादियों के रूप में नामित करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।</li> <li>○ इस समिति की स्थापना वर्ष 1999 में UNSC के एक प्रस्ताव—1267 के आधार पर की गई थी। इस समिति द्वारा तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध आरोपित किए गए थे और उसकी परिसंचयितों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।</li> <li>○ यदि इस सूची में किसी निर्दिष्ट व्यक्ति तथा संगठन को शामिल किया जाता है, तो यह समिति उनकी गतिविधियों को रोकने, लक्षित परिसंपत्ति को अवरुद्ध करने, यात्राओं पर प्रतिबंध आरोपित करने आदि में सहयोग करती है।</li> </ul>
<b>सरकार द्वारा 118 मोबाइल ऐप्लिकेशंस प्रतिबंधित की गई (Government banned 118 mobile applications)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह कदम वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर चीन के सैनिकों द्वारा पुनः घुसपैठ के प्रयास के विरोध स्वरूप उठाया गया है।</li> <li>○ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 69A के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; धारा 69A के तहत, यदि कोई वेबसाइट भारत की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं सार्वजनिक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है, तो सरकार उसे प्रतिबंधित कर सकती है।</li> </ul> </li> </ul>
<b>वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 (Global Innovation Index (GII) 2020)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GII को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO) द्वारा जारी किया जाता है तथा यह 131 देशों के नवाचार प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; इसके 80 संकेतक नवाचार आधारित व्यापक परिकल्पना का अन्वेषण करते हैं जिसमें राजनीतिक परिवेश, शिक्षा, अवसंरचना और व्यावसायिक परिकल्पना सम्मिलित हैं।</li> <li>&gt; WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीतियों, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है।</li> </ul> </li> <li>○ इस सूचकांक में स्विटजरलैंड शीर्ष स्थान पर है और उसके पश्चात् स्वीडन का स्थान है। भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है (वर्ष 2019 में 52वाँ स्थान था)।</li> </ul>
<b>टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 (Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) 2021)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ टाइम्स हायर एज्युकेशन ने 93 देशों या क्षेत्रों से लगभग 1527 उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सहित कई मानकों को शामिल किया गया है।</li> <li>○ भारत के 63 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं (अब तक भारत से सर्वाधिक)। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; हालांकि, कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है।</li> <li>&gt; भारतीय संस्थानों में, भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science) को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।</li> </ul> </li> <li>○ शीर्ष 200 संस्थानों में 59 संस्थानों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्तर पर सर्वाधिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है।</li> <li>○ इस रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (यूनाइटेड किंगडम) को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।</li> </ul>
<b>नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (National Initiative For Developing And Harnessing Innovations: NIDHI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (NIDHI) के तहत एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस (EIR) के एक ब्रोशर को लॉन्च किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; NIDHI के तहत एंटरप्रेन्योर्स-इन-रेजिडेंस (Entrepreneurs-in-Residence: EIR) कार्यक्रम वस्तुतः आशाजनक प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्षमतावान या उभयते उद्यमी को समर्थन प्रदान करता है।</li> <li>○ NIDHI सफल स्टार्टअप्स में विचारों और नवाचारों (ज्ञान-आधारित तथा प्रौद्योगिकी संचालित) के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित एक अम्बेला कार्यक्रम है।</li> </ul> </li> </ul>
<b>नर्व एजेंट नोविचोक (Nerve agent Novichok)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ जर्मन सरकार के अनुसार, रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवालनी को, नोविचोक श्रेणी (सोवियत युग में विकसित एक नर्व एजेंट) का विष दिया गया था। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; नोविचोक का रूसी भाषा में अर्थ नवाचारुक होता है तथा इस नाम का प्रयोग 1970 और 1980 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित उन्नत नर्व एजेंटों के एक समूह हेतु किया जाता था।</li> </ul> </li> <li>○ नर्व एजेंट के कारण एंजाइम का उचित संचालन बाधित हो जाता है तथा इससे विकास प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क ग्रंथियों और मांसपेशियों को संचालन संदेश प्रेषित करना बंद कर देता है। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; इस कारण ग्रंथियाँ और मांसपेशियाँ बिना रुके लगातार संदीप (stimulated) होती रहती हैं।</li> </ul> </li> </ul>
<b>श्री नारायण गुरु (वर्ष 1856–1928)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ वह केरल के एक संत और समाज सुधारक थे। वह इज्वा जाति से संबंधित थे, जिसे अवर्ण अथवा दलित वर्ग माना जाता था।</li> <li>○ उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का सार्वभौमिक संदेश दिया था।</li> <li>○ उन्होंने निम्न जातियों के लिए त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश (वर्ष 1924–25) के लिए वायकोम सत्याग्रह (Vaikkom Satyagraha) का समर्थन किया था।</li> <li>○ वर्ष 1903 में डॉ. पद्मनाभन पल्लु द्वारा श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNP) की स्थापना की गई थी।</li> </ul>